तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12429 / 2004 / सीकर** **हाकम अली बनाम बानो**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-3-21	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **<u>उपस्थितिः–</u>** श्री श्याम बाबू पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 19–4–2004 को प्रकरण संख्या 31/2003 में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम जाजोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 393/1, 354, 175, 174/1, 378, 388 कुल किता 6 कुल रकबा 8.94 है0 भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, लक्ष्मनगढ ने नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 हाकम अली व नियामत अली के नाम से स्वीकृत किया गया। उक्त उक्त नामांतरकरण के विरुद्ध वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा अपर जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष अपील संख्या 12/2003 प्रस्तुत की गई और उक्त अपील को निर्णय दिनांक 31–3–2003 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार, लक्ष्मनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वारिसान की जॉच कर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय के विरुद्ध सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील संख्या 31/2003 हाकम अली व नियामत अली द्वारा प्रस्तुत की गई और सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 19–4–2004 के द्वारा अपील को खारिज किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी किता 3 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा का अजीम खॉ अकेला तथा आराजी किता 3 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा में अजीम खॉ का 1/2 भाग था। अजीम खॉ फौत होने पर उसकी बेवा भंवरी के नाम नामांतरकरण स्वीकार किया गया और भंवरी के फौत होने पर प्रार्थीगण के हक में नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 स्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12429 / 2004 / सीकर** **हाकम अली बनाम बानो**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 के विरुद्ध अति0 कलक्टर, सीकर के समक्ष दिनांक 10–10–2000 को अपील प्रस्तुत की गई जो कि स्पष्ट रुप से मियाद बाहर थी। मियाद के बिन्दु को विधिवत रुप से तय नहीं किया गया है। प्रथम अपील में प्रार्थीगण को पक्षकार भी नहीं बनाया गया जब कि वे हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार थे। भंवरी के नाम स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 538 के विरुद्ध कोई अपील आदि नहीं की गई, अतः वह अंतिम हो चुका था। अतः भंवरी के फौत होने पर नामांतरकरण की अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाते हुये निर्णय पारित किए हैं, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें और नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 को यथावत बहाल किया जाये। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि जहॉ तक नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 के विरुद्ध देरी से प्रथम अपील करने के सम्बन्ध में योग्य अधिवक्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की है तो इस सम्बन्ध में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से माना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, इससे स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया है। अतः यह आपत्ति इस स्तर पर संधारण योग्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पिता अजीम खॉ की आराजी रही है और प्रार्थीगण जिस वसीयत को अपने पक्ष में होने का कथन कर रहे हैं, वह कानून सम्मत नहीं है क्योंकि मुस्लिम कानून के तहत सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 कलक्टर, सीकर द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है और इस निर्णय को पुष्ट करने में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने कोई अनियमितता नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में निहित विवादित आराजी किता 3 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण तथा आराजी किता 3 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा में 1/2 भाग का नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12429 / 2004 / सीकर** **हाकम अली बनाम बानो**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को हाकम अली, नियामत अली पि0 फरीद खॉ के पक्ष में स्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध अजीम खॉ की पुत्रियों द्वारा अपील अति0 कलक्टर, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अति0 कलक्टर, सीकर ने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया और इस निर्णय की पुष्टि अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 19–4–2004 से की है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 29–12–1978 के विरुद्ध देरी से मियाद समय सीमा के बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, अतः प्रथम अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में ए0आई0आर0 2002 एम0पी0 पेज 3 का हवाला देते हुये स्पष्ट रुप से माना है कि “प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है” इससे स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया है। अतः यह आपत्ति अब निगरानी के स्तर पर संधारण योग्य नहीं रहती है। प्रकरण में परीक्षण पर स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी अजीम खॉ की खातेदारी की आराजी रही है और हाकिम अली व नियामत अली, अजीम खॉ के भतीजे हैं और अप्रार्थीयान उसकी पुत्रियां हैं। अति0 कलक्टर, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 में माना है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पत्ति है और पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का हक बनता है। साथ ही निर्णय में अंकित किया है कि अजीम खॉ के द्वारा नियामत अली व हाकम अली को आराजी को विक्रय करना, इनका गोद रखा जाना तथा वसीयत करना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से विधिक वारिसान की जॉच करने हेतु प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड किया है। इसी प्रकार से अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है “अपीलार्थी इस आधार पर अपना हिस्सा क्लेम करते हैं कि पुत्रियों को मुस्लिम कानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके विरुद्ध रैस्पो0 का यह तर्क है कि मुस्लिम कानून के तहत सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। निश्चित रुप से यह विवाद का विषय है जो साक्ष्य और विधि के अनुरुप ही निर्णित किया जाना है।” इस प्रकार अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान किए हैं कि तहसीलदार उनके समक्ष पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात व तथा पक्षकारान पर लागू पर्सनल लॉ के अनुसार निर्णय पारित करेंगे। स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये न्यायोचित व तथ्यात्मक निर्णय पारित किए हैं, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है चूँकि प्रकरण में विधिवत रुप से परीक्षण किया जाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12429 / 2004 / सीकर** **हाकम अली बनाम बानो**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	